संख्या-23/2017/375/सात-न्याय-7-2017-20/2011

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जवाहर भवन लखनऊ।

न्याय अनुभाग-7 (क0नि0) लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

विषय - लोक अदालत में कार्यरत आशुलिपिक के पद अनुमन्य ग्रेड वेतन रू02400/- का वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय दिनॉक 08-09-2010 व शा0दे0 दिनॉक 27-02-2013 के अनुसार ग्रेड वेतन रू02800/- किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1116/एसएलएसए-21/2011 दिनॉक 19 मई 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रथम चरण में गठित 23 लोक अदालतों में कार्यरत आशुलिपिको को वर्तमान में वेतन बेण्ड-1 रू0-5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रू02400/- प्रदान किया जा रहा है। सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ प्रथम चरण में 23 जनपदो में गठित स्थायी लोक अदालतों में कार्यरत आशुलिपिकों के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू02400/- को वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय विषयक शासनादेश संख्या- वे0आ0'-2-2056/दस-54(एम)/2008टी0सी0 दिनाक 08-09-2010 व शा0दे0स0-वे0आ0-2-109/दस-54 (एम)2008टीसी दिनॉक 27-02-2013 के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से ग्रेड वेतन रू0 2800/- अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकति प्रदान करते है।

3- ग्रेड वेतन में वृद्धि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-1385/दस-2017 दिनॉक 15 दिसम्बर 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 - महालेखाकार, उ0प्र0(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, इलाहाबाद।

2- मा0 कार्यपालक अध्यक्ष , उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ।

3- संबंधित जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।

4 - संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-12/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2

7- न्याय अनुभाग-09 (बजट)

8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

राजेश पति त्रिपाठी
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।